न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 9/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/42

प्रार्थीगण:—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
1. माधोसिंह राठौड़ पुत्र पाबुदानसिंह जाति राजपुत निवासी गुडा गांगाणा तहसील देसूरी जिला पाली		1. ग्राम पंचायत नादाणा भाटान पंचायत समिति रानी जिला पाली
2. हनवन्तसिंह राठौड पुत्र पाबुदानसिंह जाति राजपुत निवासी गुडा गांगाझाा तहसील देसुरी जिला पाली		2. जब्बरसिंह कुम्पावत पुत्र जोरसिंह जाति राजपुत निवासी गुडा गांगाणा ग्राम पंचायत नादाणा भाटान पंचायत समिति रानी जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :—

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सी.पी. सिघांनिया, श्री विक्रम शर्मा।
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव।

—: निर्णय :—

दिनांक : 23/05/2025

प्राथीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत नादाणा भाटान द्वारा मिसल संख्या 59/89—90, संकल्प संख्या 08 दिनांक 25.09.1996 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 जब्बर सिंह कुम्पावत पुत्र जोरसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 181 दिनांक 13.02.1997 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया, जिसके संबंध में रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने का पत्र प्राप्त। उभयपक्ष अधिवक्तागण की प्रकरण में बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी भूखण्ड पूर्व में कोलसिंह की जागीरी का था जिसे प्रार्थीगण के पिता पाबुदान ने दिनांक 13.06.1950 को विक्रय किया था एवं तब से उक्त भूखण्ड के प्रार्थीगण व उनके पूर्वज ही मालिक रहे है। जैर निगरानी भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थीगण के पिता ने दिनांक 07.03.1994 को व्यवहार न्यायालय मुंसिफ देसूरी कैम्प पाली के समक्ष प्रतिवादी किशोरसिंह, नवलसिंह, मोहनसिंह, पुनिया निवासीगण गुडा गांगाणा के विरूद्ध वाद पेश किया था जिसमें माननीय न्यायालय ने अवैध रूप से कब्जे के सम्बन्ध में दिनांक 02.11.2004 को निर्णय पारित किया। इस आदेश की पालना हेतु न्यायालय में इजराय 1/2020 भी विचाराधीन है। उक्त इजराय याचिका में अप्रार्थी संख्या 2 ने वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा बताते हुये जैर निगरानी पट्टे का जिक्र करते हुये पक्षकार बनने का प्रार्थाना पत्र पेश किया तब प्रार्थीगण को जैर निगरानी पट्टे की जानकारी हुई।

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

जैर निगरानी पट्टे का रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है परन्तु उक्त पट्टे पर पंट्टा समिति के रूप में जब्बर सिंह के हस्ताक्षर है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत से कार्यवाही रजिस्टर की प्रति अनुसार पट्टे जारी करने की सूची में क्रम संख्या 1 से 54 तक तो लगातार है जिसमें दिनांक भी उसी अनुरूप है। परन्तु क्रम संख्या 56 दिनांक 25.12.89, क्रम संख्या 54 दिनांक 20.11.89, क्रम संख्या 58 दिनांक 20.11.89, क्रम संख्या 56 दिनांक 20.10.89 अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने मिवालट करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। 59 नम्बर मिसल में फैसल दिनांक नहीं है, पंचायती राज नियमों के तहत पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। प्रार्थीगण का उक्त भूखण्ड खरीदशुदा होने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत ने विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण का जैर निगरानी याचिका में मुख्य आधार व्यवहार न्यायालय मुंसिफ देसूरी कैम्प पाली का दावा है। प्रार्थीगण ने उक्त दावा 44 वर्ष बाद कब्जे हेतु किया था, जिसमें भी अप्रार्थी संख्या 2 को पक्षकार नहीं बनाया गया। प्रार्थीगण जो निगरानी लेकर आये है वो दूर बैठे लोगों के विरूद्ध लेकर आये है और हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण हितबद्ध पक्षकार नहीं है। प्रार्थीगण ने निर्णय दिनांक 02.11.2004 के विरूद्ध जो इजराय पेश की है उसमें उन्होंनें गलत जगह पर प्लॉट दर्शाया है तथा वे उक्त भूखण्ड पर पिछले 50 वर्ष से काबिज भी नहीं है। दावें में अंकित पड़ौस में पट्टे में अंकित पडौस से मेल नहीं खा रहे। प्रार्थीगण का दावा नजरी नक्शें अनुसार अप्रार्थी के विरूद्ध न होकर किसी अन्य के विरूद्ध है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज कूटरचित है तथा अप्रार्थी संख्या 2 अनपढ है जो कि अगुष्ठ निशान करता है हस्ताक्षर नहीं करता साथ ही जिस समय जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया था उस समय अप्रार्थी ग्राम पंचायत में उपसरपंच पद पर कार्यरत नहीं था। प्रार्थीगण केवल झूठे दस्तावेजों के आधार पर अप्रार्थी को परेशान करने एवं जैर निगरानी भूखण्ड को हडपने की नियत से बिना किसी विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत नादाणा भाटान द्वारा मिसल संख्या 59/89–90, संकल्प संख्या 08 दिनांक 25.09.1996 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 जब्बर सिंह कुम्पावत पुत्र जोरसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 181 दिनांक 13.02.1997 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस यह उज्र था कि प्रार्थीगण की भूमि अप्रार्थी के पट्टा सुदा भूमि से काफी दूर है इसलिये प्रार्थीगण हस्तगत निगरानी याचिका में हितबद्ध पक्षकार नहीं है। जबकि राज पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 में यह स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहियो के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में ऐसी कार्यवाहियो की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति निगरानी प्रस्तुत कर सकता है।

वकील प्रार्थीगण का दौराने बहस यह उज्र था कि प्रार्थीगण ने वर्ष 1950 में जैर निगरानी भूखण्ड खरीद किया था और तब से उक्त भूखण्ड पर प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों का ही कब्जा रहा है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने इस उज्र का विरोध करते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त समस्त दस्तावेज कूटरचित है एवं जैर निगरानी भूखण्ड का अप्रार्थी का पट्टा जारी करने से पूर्व कब्जा रहा है और वर्तमान में भी मौके पर अप्रार्थी ही काबिज है। अपने कथनों की पुष्टि के सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थी ने नजरी नक्शा एवं एक फोटोग्राफ्स पेश किया, जिसके अनुसार जैर निगरानी भूखण्ड वर्तमान में खाली भूखण्ड है तथा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज लिखत जो कि आठ आना के स्टाम्प पर है, के अनुसार कोलसिंह पुत्र धूलसिंह ने एक भूखण्ड प्रार्थीगण के पिता को दिनांक 13.06.1950 को बेचान कर दिया जिसके पडौस उत्तर दिशा में आम रास्ता, दक्षिण दिशा में भेरजी भीमोट की जायदात, केरीया राईका का बाडा, पूर्व दिशा में आम रास्ता व तालाब तथा पश्चिम दिशा में गांव का चौहटा अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध अन्य बेचाणानामा जो कि मोतीसिंह पुत्र कालुसिंह के द्वारा दिनांक 30.07.1992 को प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में निष्पादित किया गया, जिसमें उपरोक्त लिखत में वर्णित कथनों का जिक्र करते हुये उक्त लिखत के गुम हो जाने पर लिखतकर्ता के पुत्र ने जैर निगरानी भूखण्ड का प्रार्थीगण के पिता को पुनः बेचान का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध उप न्यायाधीश (जागरी), पाली की कोलसिंह जागीरदार, गुडा गांगाणा तहसील देसूरी जिला पाली की सम्पति की सूचि दिनांक 01.02.62 के अनुसार मकानात व वाडा की सूचि के क्रम संख्या 7 पर जिस थाला का उल्लेख है उसके पडौस पूर्व में आम रास्ता व तालाब, पश्चिम में चौवटा, उत्तर में रास्ता एवं दक्षिण में भेरजा का मकान व रायका केरीया का वाडा अंकित है। इसी प्रकार जैर निगरानी पट्टा, जो कि दिनांक 13.02.1997 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित किया गया था, के पडौस पूर्व दिशा में नादाना रास्ता (तालाब), पश्चिम दिशा में गांव का चौहटा, उत्तर दिशा में गांव का आम रास्ता तथा दक्षिण दिशा में मोहन सिंह वगैरह का निजी रास्ता वर्णित है। उपरोक्त समस्त दस्तावेज के तुलनात्मक अध्ययन से यह तो स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में जिस भुखण्ड का जिक्र किया हुआ है वह जैर निगरानी भूखण्ड से ही सम्बन्धित है, जो कि प्रार्थीगण के पिता द्वारा खरीदसुदा है तथा अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये जिससे यह जाहिर हो सके कि उक्त भूखण्ड पर उनका मालिकाना हक हो अथवा उनका खरीद सुदा भूखण्ड हो। लिहाजा प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत ने प्रार्थीगण के पिता द्वारा खरीद सुदा भूखण्ड का अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो कि विधिविरूद्ध है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस एक अन्य उज्र यह भी था कि प्रार्थीगण ने व्यवहार न्यायालय मुंसिफ देसूरी कैम्प पाली में प्रस्तुत दावा में जो नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है वह गलत है तथा वर्तमान स्थिति उसके विपरीत है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त उज्र का खण्डन करते हुये कथन किया कि न्यायालय में प्रस्तुत वाद में उनके द्वारा सही एवं वस्तुस्थिति के अनुरूप नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार प्रार्थीगण ने दिनांक 13.06.1950 को आठ आना के स्टाम्प पर लिखत पर वर्णित नक्शें एवं नाप तथा पडौस अनुसार जिस भूखण्ड को खरीद किया था, प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में उसी अनुरूप नजरी नक्शा एवं पडौस अंकित कर पेश किया गया। इसलिये अधिवक्ता अप्रार्थी का यह उज्र साबित नहीं होने की दशा में स्वीकार योग्य नहीं है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आबादी भूमियों के विक्रय का रजिस्टर की प्रति का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि मिसल संख्या 1 से लेकर 56 तक मिसल खोलन की तारीख क्रमानुसार है तथा मिसल संख्या 56 की मिसल खोलने की तारीख 25.12.89 है परन्तु मिसल संख्या 57 व 58 की तारीख 20.11.89, मिसल संख्या 59 की मिसल खोलने की दो अलग अलग तारीख 20.10.89 तथा 25.12.89 अंकित है तथा एक दिनांक 20.10.89 पर गोला कर रखा है, जो प्रकरण को संदेहास्पद बनाती है। जब पूर्व की मिसल दिनांक 20.11.89 को खोली गयी हो तो पश्चातवर्ती मिसल दिनांक 20.10.89 लगभग एक माह पूर्व की दिनांक में कैसे खोली जा सकती है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता प्रार्थीगण ने कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे पर अध्यक्ष, कमेटी के रूप में अप्रार्थी संख्या 2 जब्बर सिंह के हस्ताक्षर है परन्तु अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त कथन का खण्डन करते हुये उज्र किया कि अप्रार्थी अनपढ है जो अगुष्ठ निशान करता है। हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता अप्रार्थी ने ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रकट नहीं किये जिससे यह जाहिर हो सके कि प्रश्नगत पट्टे पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं है इसलिये इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जैर निगरानी पट्टे पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 256 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ नक्शा तैयार करने के व्यय पेटे दो रूपये की राशि जमा करानी होगी। इसके पश्चात नियम 257 के तहत नक्शा तैयार किया जायेगा एवं नियम 258 के तहत मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा पंचों द्वारा "क से घ" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 259 के तहत अस्थायी निर्णय करने एवं नियम 260 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 260 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 261 के तहत प्रदत्त हैं। नियम 262 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 263 के तहत भुगतान तथा भुगतान न

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

करने पर पुनविक्रय के प्रावधान है एवं नियम 264 के तहत नीलामी की प्रक्रिया उल्लेखित है व नियम 265 के तहत किये गये नीलाम की पुष्टि के प्रावधान है। नियम 266 के तहत निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण एवं भूमियों का निःशुल्क आंवटन के प्रावधान नियम 267 में उल्लेखित है। नियम 268 के तहत हस्तान्तरण तथा आवंटन अनुमोदनाधीन एवं आबादी का विक्रय से अपवर्जन के प्रावधान नियम 269 में प्रदत्त है। किसी आबादी भूमि का नियम 263 के तहत भुगतान कर दिया जाने, नियम 265 नीलामी की पुष्टि करने और नियम 270 के अधीन कोई अपील नहीं होने की स्थिति में नियम 271 के तहत विक्रय--विलेख जारी किये जाने का प्रावधान है। जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया हैं। जिसका परिक्षण एवं वैद्यता की जांचने के लिए ग्राम पंचायत के रेकर्ड की उपलब्धता वांछनिय है, ग्राम पंचायत ने अपने पत्र दिनांक 23.05.024 के द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित पट्टा बुक, मूल मिसल एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध नहीं होना बताया। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत के समक्ष जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ही नहीं है, जो प्रकरण को संदेहास्पद बनाता है। अतः प्रकरण पुनः जांच कर विधिवत सुनवाई हेतु पंचायत को प्रतिप्रेषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित प्रतीत होता है, जिससे प्रकरण में राजस्थान पंचायती राज नियमों की पालना करते हुये विधिनुसार कार्यवाही की जा सके।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत नादाणा भाटान द्वारा मिसल संख्या 59/89–90, संकल्प संख्या 08 दिनांक 25.09.1996 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 जब्बर सिंह कुम्पावत पुत्र जोरसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 181 दिनांक 13.02.1997 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति ग्राम पंचायत नादाणा भाटान को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 23/04/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)